केन्द्रीय सूचना आयोग
कमरा न. 302, **बाबा गंग नाथ मार्ग**,
तीसरा तल, मुनिरका, नई दिल्ली-110067

संख्या: CICOM/R/2018/00597/SB **दिनांक : 18.06.2018**

श्री नवीन कुमार,

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना ।

महोदय

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन दिनांक **11.06.2018** का सन्दर्भ ग्रहण करे जो इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक **12.06.2018** को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में उत्तर निम्न प्रकार है: -

बिन्दु संख्या (1)

आपका आवेदन दिनांक 25.04.2017 जो इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 09.05.2017 को प्राप्त हुआ था। परन्तु भूलवश आपके आवेदन के उत्तर में किसी दुसरे आवेदन का उत्तर ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया था। इसलिए उक्त आवेदन का उत्तर आयोग के पत्र संख्या CICOM/R/2017/00578/SB दिनांक 13.06.2018 के माध्यम से दे रहे है जो इस उत्तर के साथ सलंगन है । उपरोक्त पत्र का उत्तर देने में हुई देरी के लिए खेद व्यक्त करते है ।

बिन्दु संख्या (2) से (5)

उपरोक्त बिन्दु संख्या आरटीआई अधिनियम -2005 की धारा 2 (एफ) के तहत जानकारी की परिभाषा में नहीं आता है ।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- *श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रिय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली -110067*

(एस. एस. रोहिला)
CPIO & DR to IC (SB)
E-mail: do.icsb-cic@gov.in
Phone No. 011-26105682

प्रतिलिपि : केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग ।

केन्द्रीय सूचना आयोग
कमरा न. 302**, बाबा गंग नाथ मार्ग**,
तीसरा तल, मुनिरका, नई दिल्ली-110067

संख्या: CICOM/R/2017/00578/SB **दिनांक : 13.06.2018**

श्री नवीन कुमार,

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना ।

महोदय

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन दिनांक **25.04.2017** का सन्दर्भ ग्रहण करे जो इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक **09.05.2017** को प्राप्त हुआ था। परन्तु भूलवश आपके आवेदन के उत्तर में किसी दुसरे आवेदन का उत्तर ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया था इसलिए इस आवेदन के उत्तर देने में हुई देरी के लिए खेद व्यक्त करते है इस संबंध में उत्तर निम्न प्रकार है: -

उक्त आवेदन में आपने अपने पत्र दिनांक 22.04.2017 पर अब तक की गई कार्यवाही की सूचना मांगी है। आपका उक्त पत्र आयोग में डायरी संख्या 127242 दिनांक 26.04.2017 के तहत दर्ज हुआ है जो आयोग के आदेश संख्या CIC/VS/A/2015/001430 से संबंधित था। इस सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त पत्र को माननीय सूचना आयुक्त श्री सुधीर भार्गव के समक्ष प्रस्तुत किया गया था या नहीं इस संबंध में कोई भी रिकॉर्ड फाइल में उपलब्ध नहीं है। तथापि**, आप अपने पत्र दिनांक 22.04.2017 में आयोग के आदेश संख्या CIC/VS/A/2015/001430 की समीक्षा करने की मांग कर रहे थे । आयोग को अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए आपके पत्र दिनांक 22.04.2017 पर कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं थी ।**

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- *श्री राकेश कुमार सिंह,अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली -110067*

(एस. एस. रोहिला)
CPIO & DR to IC (SB)
E-mail: do.icsb-cic@gov.in
Phone No. 011-26105682

प्रतिलिपि : केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग ।